

31-3-22 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी की
ओर से वकील श्री सुठाराम जट ने
प्रतिनिधित्व पत्र पेश किया। वकील पार्थी
को सुना गया। तदनुसार पार्थी का
प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
पत्रावली, मूल पत्रावली के साथ दिनांक
12-5-22 को पेश हो।
पत्रावली फैसल कुमार देकर नम्बर
से कम हो।

उपयुक्त अधिकारी
सुभाष चन्द्र (अजमेर)

12-5-22

